जिला कलक्टर श्रीगंगानगर

137/2016

A3

अपील सूचना अधिकार संख्या 137/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी सामान्य शाखा कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11–02–2017

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 13.06.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर से 2 बिन्दुओ की सूचना चाही गई थी जो उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 13.06.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

> माननीय सेशन न्यायाधीश श्रीगंगानगर के पत्रांक 112/सीएम/ए/दिनांक 25.02.2016 बाबत पुरानी शुगर मिल श्रीगंगानगर की 24–91 बीघा भूमी न्यायालयों भवनों एवं अभिभावक गण के चेम्बर हेतू सूचना।
> 1. दिनांक 5.12.2015 व 6.12.2015 को माननीय न्यायाधिपति उच्च न्यायालय जोधपुर श्री संदीप मेहता महोदय, श्रीगंगानगर द्वारा पुरानी शुगर मिल की भूमी 24–91 बीघा 6.303 हेक्टर न्यायालयो भवनो एवं अभिभाषकगणो के चेम्बर बनवाने हेतु उक्त भूमी उपलब्ध करवानें एव अधिवक्तां हेतु मौखिक सहमति प्रदान की थी इस बाबत सूचना।
> 2. इस सम्बन्ध मे आप द्वारा राज्य सरकार से जो पत्र लिखा गया उसकी सूचना व उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर प्रभारी अधिकारी, सामान्य शाखा, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर ने अपने जबाब सं0 8335 दिनांक 06.09.2016 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा जो सूचना चाही गई थी उसके संबंध में अपीलार्थी को पत्र सं0 4646 दिनांक 30.06.2016 के द्वारा सूचित कर दिया गया था।

प्रभारी अधिकारी, सामान्य शाखा, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर ने अपने पत्र सं0 4646 दिनांक 30.06..2016 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचित किया गया हैः–

> उपरोक्त विषयान्तर्गत पत्र के कम में लेख है कि आप द्वारा दो बिन्दुओं की सूचना चाही है। मौखिक सहमति पर इस कार्यालय से कोई पत्राचार राज्य सरकार से इस अनुभाग द्वारा नही किया गया है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

PTO

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त 2 बिन्दुओ की सूचना का लोक सूचना अधिकारी द्वारा उक्तानुसार उत्तर दिया जा चुका है, जो सही है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, सामान्य शाखा, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर